रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 1975/फाल्गुन 16, 1896

No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 1975/PHALGUNA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March 1975

S.O. 128(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas my predecessor-in-office had on 28th March, 1974 made an Order, suspending for a period of six months the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Pondicherry, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to him to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on 26th September, 1974, made a further Order continuing the suspension of operation of the provisions of the Act suspended under the aforesaid Order for a further period of six months with effect from the 28th September, 1974;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accorance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it

is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by my predecessor-in-office under the first mentioned Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, hereby direct,—

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the first mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the aforesaid Order shall continue to be operative for a further period of six months with effect from the 28th March, 1975; and

(b) that the words "one year" occurring in clause (a) of the first mentioned Order, as subsequently amended, the words "one year and six months" shall be substituted.

NEW DELHI;
The 7th March, 1975.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. U-11012/1/75-UTL]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1975

का० आ० 128 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश साधारण सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

यतः मेरे पद में पूर्ववर्ती ने 28 मार्च, 1974 को पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20), (इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) के कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन छह मास की कालावधि के लिये निलम्बित करते हुये, और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंधों को, जो उनको यथोक्त कालावधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत करते हुये, बनाते हुये एक आदेश पारित किया था ;

और यतः मैंने 26 सितम्बर, 1974 को अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के निलम्बन के चालू रहने का एक और आदेश यथोक्त आदेश के अधीन, 28 सितम्बर, 1974 से आगे छह मास की कालावधि के लिये पारित किया था ;

और यतः मैंने पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और मेरे द्वारा प्राप्त रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात् मेरा समाधान हो गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि प्रथम उल्लिखित आदेश के अधीन मेरे पद में पूर्ववर्ती द्वारा निलम्बित किये गये उपबंधों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहना चाहिये और तद्धीन बनाये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध एक वर्ष की कालावधि के परे प्रवृत्त बने रहने चाहिये ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 51 और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, फखरूद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देता हूं,—

(क) कि प्रथम उल्लिखित आदेश के खंड (क) के आधार पर निलम्बित किये गये अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहेगा और यथोक्त आदेश के खंड (ख) के आधार पर बनाये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 28 मार्च, 1975 से आगे छह मास की कालावधि के लिये प्रवृत्त बने रहेंगे ; और

(ख) कि प्रथम उल्लिखित आदेश के जो पश्चात में संशोधित किया गया है, खंड (क) में आने वाले "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष और छह मास" शब्द प्रति स्थापित किये जायेंगे ।

नई दिल्ली,
7 मार्च, 1975

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० यू०-11012/1/75-यू० टी० एल०]

के० आर० प्रभु, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975